प्रेषक,

**निदेशक,**
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 864/एम–228/2017 खनन नीति(IX) दिनांकः 17 अगस्त, 2023

**विषयः उत्तर प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन घनमीटर के स्थान पर टन में किये जाने हेतु Bulk Density/Density के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मोटर वाहन (यथासंशोधित) अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के भारवाहक वाहनों की भारवहन क्षमता टन में निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में पाये जाने वाले उपखनिजों की रायल्टी एवं उनका परिवहन घनमीटर में निर्धारित है, जबकि सीमावर्ती राज्यों यथा उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान आदि में परिवहन हेतु खनिज की मात्रा को टन में अंकित किया जाता है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में खनन पट्टा क्षेत्रों में ओवरलोडिंग को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से वे–ब्रिज लगाये गये हैं जहॉ पर वाहन में लदे खनिजों की तौल की जाती है तथा तौल के उपरान्त वजन (टन में) को मात्रा (घनमीटर) में परिवर्तित कर अभिवहन/परिवहन प्रपत्र में जारी किया जाता है। अवैध खनन/परिवहन को नियंत्रित किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा अवैध परिवहन की जॉच के समय वाहनों की भारवहन क्षमता के अनुरूप परिवहन प्रपत्र में वजन (टन में) अंकित न होने के कारण जनपद स्तर पर कार्यवाही में विसंगति की सम्भावना बनी रहती है।

2. प्रदेश में पाये जाने वाले उपखनिजों पर रायल्टी व उसका परिवहन टन में निर्धारित किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा साधारण बालू, मौरम, सैण्ड स्टोन, ग्रेनाईट, डोलोस्टोन, स्टोन डस्ट आदि के नमूने प्राप्त कर खनिजवार Bulk Density/Density का निर्धारण किया गया है तथा निर्धारित Bulk Density/Density पर अन्तरविभागीय परामर्श समिति की आहूत बैठक में यह मत स्थिर किया गया कि प्रदेश में उपखनिजों के Bulk Density/Density निर्धारण के उपरान्त इन खनिजों का परिवहन अन्य राज्यों की भॉति वाहनों की भारवहन क्षमता के अनुसार टन के रूप में किये जाने से अन्य राज्यों एवं प्रदेश के अन्य विभागों के साथ समानता एवं समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

3. उपरोक्त के क्रम में समस्त अभिवहन/परिवहन प्रपत्र में खनिज की मात्रा को टन में अंकित किया जायेगा। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत भारवहन की क्षमता (Carrying Capacity) एवं Gross Vehicle Weight (GVW) के मापदण्डों को अभिवहन प्रपत्र में भी अंकित किया जायेगा जिससे खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जॉच के समय आसानी से टन में

अंकित खनिज की मात्रा के अनुसार परीक्षण किया जाना सम्भव हो सकेगा। उक्त व्यवस्था दिनांक 01.09.2023 से लागू की जायेगी।

अतः अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार खनिजों का परिवहन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ0 रोशन जैकब)
निदेशक

संख्याः (1)/एम–228/2017 खनन नीति(ix) तददिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

(1) प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(3) विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द, योजना भवन, तृतीय तल, लखनऊ को विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(6) समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0।
(7) समस्त जनपद खान निरीक्षक/खान अधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, उ0प्र0।

(डॉ0 रोशन जैकब)
निदेशक